

विकलांगता प्रमाण पत्र

किसी भी व्यक्ति को 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता होने पर विकलांगता प्रमाणपत्र पाना अधिकार है | विकलांगता से सम्बंधित किसी भी योजना का लाभ लेने के लिये यह प्रमाणपत्र का होना ज़रूरी होता है |

उत्तराखण्ड के जनपदों में विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया:

प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यह दस्तावेज चाहिए :

1. आधार कार्ड / पहचान पत्र / पासपोर्ट या कोई अन्य निवास फोटो युक्त निवास प्रमाणपत्र |
2. दो पासपोर्ट साइज़ फोटो (शारीरिक विकलांगता होने पर चेहरे के साथ पूरा शरीर भी पासपोर्ट साइज़ में दिखाई दे) |
3. निवास प्रमाण पत्र |

आप क्या करें:

शारीरिक विकलांगता होने पर - कार्य दिवस पर आपके जिले के सम्बन्धित चिकित्सालय से पैनल द्वारा शारीरिक जांच के उपरांत प्रमाण पत्र प्राप्त करें |

मानसिक विकलांगता /दृष्टि-बाधितार्थ /मूकबधिरता या बहु:विकलांगता होने पर

पहला चरण :- कार्य दिवस पर सम्बन्धित चिकित्सालय से रेफर करवाकर रेफर किये गए चिकित्सालय में जाँच करवाए |

दूसरा चरण :- जांच के उपरांत जांच रिपोर्ट के साथ प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उस चिकित्सालय जहाँ से रेफर किया गया में सम्पर्क करें व प्रमाणपत्र प्राप्त करें |

	जिला	कहाँ बनाये जाते हैं।	कब बनाये जाते हैं।
1.	अल्मोड़ा	ज़िला अस्पताल, अल्मोड़ा, फोन न०- 05962-230064	महीने के हर पहले बुधवार
		राजकीय चिकित्सालय, रानीखेत फोन न० -05966-220526	महीने के हर दूसरे बुधवार

		बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा फोन न० -05962-230012	महीने के हर चौथे बुधवार
2.	बागेश्वर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - बागेश्वर	महीने की 15 तारीख को / तीन महीने में एक बार
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - बैजनाथ	महीने की 15 तारीख को/ तीन महीने में एक बार
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - कपकोट	महीने की 15 तारीख को / तीन महीने में एक बार
3.	चम्पावत	सी.एम.ओ. कार्यालय, चम्पावत, फ़ोन न0: 05965-230312	हर महीने के पहले सोमवार को
4.	चमोली	जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली फोन न0 -01372-252245	प्रत्येक महीने की 15 तारीख को
5.	देहरादून	दून चिकित्सालय, प्रसासनिक भवन, इंदिरा अम्मा कैंटीन के पास ।	प्रत्येक बुधवार
6.	नैनीताल	बी. डी. पाण्डेय ज़िला अस्पताल, नैनीताल, फ़ोन न0 : 05942-235012	हर सोमवार को
7.	हरिद्वार	मेला अस्पताल, हरिद्वार फोन न० - 01334-2655 25	महीने के पहले व तीसरे मंगलवार को
		राजकीय सिविल अस्पताल रूडकी, फोन न० 01332-63395	महीने के पहले व तीसरे मंगलवार को
8.	टिहरी	कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) टिहरी गढ़वाल, फोन न० 01376- 232093	प्रत्येक बुधवार को
9.	पौड़ी गढ़वाल	जिला चिकित्सालय पौड़ी गढ़वाल, फोन न० 01368-222086	महीने के पहले व तीसरे बुधवार को
10.	उत्तरकाशी	कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी, फोन न० 01374-222106/ 223225	प्रत्येक बुधवार को
11.	उधमसिंह नगर	जिला चिकित्सालय उधमसिंह नगर	प्रत्येक बुधवार को
12.	पिथौरागढ़	कार्यालय मुख्य चिकित्स्थकारी (सीएमओ) पिथौरागढ़ फोन न० 05964- 225142	महीने की 16 व 28 तारीख को

13.	रुद्रप्रयाग	जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग	प्रत्येक महीने की 2 तारीख को